

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/ 406

दिनांक - 15/03/19

प्रार्थीगण
1 सवाईसिंह पुत्र सगतसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी सर का पार, बान्दरा तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण


1 हरलाल पुत्र सोनाराम वगैराह जाति मेगवाल निवासी सर का पार, बान्दरा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान गू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 588/2018

दिनांक- 15.03.2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सर का पार पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 502 रकबा 0.18 बीघा, खसरा संख्या 503 रकबा 17.00 बीघा, खसरा संख्या 1158/504 रकबा 140.01 भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 15/03/19

क्रमांक :- रीडर/2019/ 407-50

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बान्दरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. सवाईसिंह पुत्र सगतसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी सर का पार, बान्दरा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी हरलाल पुत्र सोनाराम वगैराह जाति मेगवाल निवासी सर का पार, बान्दरा तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर